प्रेस नोट

थाना नवाबाद, जनपद-झांसी

दिनांक- 09.05.2026

- **झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही,**
- **थाना नवाबाद पुलिस द्वारा नौकरी लगवाने के नाम पर रूपये लेकर धोखाधड़ी करने के संबंध में पंजीकृत अभियोग में वांछित 01 अभियुक्ता गिरफ्तार,**
- **गिरफ्तार अभियुक्ता को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया,**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में दिनाँक 17.05.2026 को थाना नवाबाद पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 527/2025 धारा 318(4)/351(3)/338/336(3)/340(2) BNS से संबंधित अभियुक्ता- **श्रीमती कंचन प्रजापति पत्नी श्री कुलदीप सिंह निवासी खाई मोहल्ला नई बस्ती, थाना-कोतवाली, झाँसी हाल निवासी 320 राजीव नगर नगरा, थाना-प्रेमनगर, झाँसी उम्र करीब 35 वर्ष** को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 26.12.2025 को ग्राम दिगारा थाना बड़ागांव निवासी महिला द्वारा थाना नवाबाद पर अभि0गण द्वारा धोखाधड़ी करते हुये वादिया को नौकरी का झांसा देकर 5,00,000/- रूपये ले लेने व वादिया द्वारा अपने रूपये वापस मांगने पर वादिया को जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दिये गए प्रार्थना-पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 527/25 धारा 318(4)/351(3) BNS बनाम 1. श्रीमती कंचन प्रजापति पत्नी कुलदीप प्रजापति वर्तमान कार्यरत स्टाफ नर्स (C.B.) म0ल0बा0 मेडिकल कॉलेज झाँसी, 2.कुलदीप प्रजापति पुत्र स्व0

ईश्वर सिंह वर्तमान कार्यरत वार्ड बॉय म0ल0बा0 मेडिकल कॉलेज, झाँसी निवासीगण मकान नं0-212 नई बस्ती शान्ति कुंज खाई मोहल्ला थाना कोतवाली जिला-झाँसी पंजीकृत किया गया।

विवेचना के क्रम में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 338/336(3)/340(2) BNS की बढ़ोत्तरी करते हुए दिनांक 16.05.2026 को मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्ता श्रीमती कंचन प्रजापति उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

<u>पूछताछ विवरणः-</u>

अभियुक्ता श्रीमती कंचन प्रजापति से की गई पूछताछ में अभियुक्ता द्वारा बताया गया कि "मैंने जीतू बागवार के कहने पर उसके साथ मिलकर अनोखी देवी आदि से नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे लेकर फर्जी दस्तावेज को असली बताकर दिया था तथा कुछ रूपये मैंने स्वयं जीतू बागवार व उसकी पत्नी के बैंक खाते में जीतू बागवार के कहने पर ट्रांसफर किये हैं तथा शेष रूपये मैंने खर्च कर दिये हैं। जब अनोखी देवी आदि मुझसे अपने रूपये वापस माँगने लगे तो मैंने अपने बचाव में थाना नवाबाद में अपनी तरफ से मु0अ0सं0 265/25 धारा 316(2)/296/115(2)/352/351(3) BNS बनाम जीतू बागवार आदि के विरुद्ध पंजीकृत करा दिया था तथा जीतू बागवार पर दबाव बनाने के लिये मैंने उसकी सास व सालों के नाम भी रिपोर्ट में लिखवा दिये थे"।

<u>नाम पता अभियुक्ताः-</u> श्रीमती कंचन प्रजापति पत्नी श्री कुलदीप सिंह निवासी खाई मोहल्ला नई बस्ती, थाना-कोतवाली, झाँसी हाल निवासी 320 राजीव नगर नगरा, थाना-प्रेमनगर, झाँसी उम्र करीब 35 वर्ष

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –</u>

1. प्र0नि0 श्री रवि श्रीवास्तव थाना नवाबाद, झाँसी,

2. उ0नि0 श्री मोहित राणा थाना नवाबाद, झाँसी,

3. म0का0 1820 पूनम थाना नवाबाद, झाँसी।